तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 815/2025 अनवान तेजाराम बनाम नथुराम वगैरा

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

04/08/2025

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा लुखो का तला पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 1094/995 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1098/995 रकबा 4.4758 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1100/995 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लुखो का तला पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 1094/995 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1098/995 रकबा 4.4758 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1100/995 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के ... की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जावेगी। इस आदेश का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yash Shekhar
Date: 2025.10.25 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर